

उपासक हे भौर न ही पत्रकारान हेमी
 रक्षिते मे न्यायालय इस प्रकार से भागे
 जेरका रखा इन्ति नही समझता है प्रकरण
 काही पुराना है अतः पत्रावली अदम हाजरी
 अदम पत्रावली में खारिज की जाती है पत्रावली
 केवल इमार होकर नसक से इस की जावे।
 निर्णय आज दिनांक 16/03/22 के सरे
 इजलास में सुनाया गया।

